P001 P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 17.07.2018 द्वारा श्री महीपाल सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनाथपुरम जिला कोटा का स्थानान्तरण दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वतंत्रता के मद्देनजर राउमावि–राजोपा हाथोली जिला कोटा किया गया था जिसके विरुद्ध श्री महीपाल सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी.सिविल याचिका सं. 20364/2018 महीपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका सं. 20364/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.07.2018 का क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री महीपाल सिंह के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः श्री महीपाल सिंह, प्रधानाचार्य, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की अनुपालना में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि–श्रीनाथपुरम जिला कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं श्री यदुनन्दन गौतम, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राउमावि–राजोपा हाथोली (Rajopa Hatholi), जिला कोटा किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 29.09.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सम्बन्धी सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/महीपाल/20364/2018 दिनांकः 24.9.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कोटा को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी।

संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

P0011

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा डॉ. चेतन चौहान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाछडसर जिला चुरू का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–भरपालसर जिला चुरू किया गया था जिसके विरूद्ध डॉ. चेतन चौहान द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 974/2018 डॉ. चेतन चौहान बनाम श्रीमान निदेशक व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 को अनियमित एवं विधि विरूद्ध बताते हुए अपीलार्थी डॉ. चेतन चौहान की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में डॉ. चेतन चौहान राउमावि लाछडसर जिला चुरू में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/चेतन चौहान/अपील/974/2018 दिनांक 24.9.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा चुरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)